न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 59 / 2023

विद्याधर पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. तेजाराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
2. गणेशा पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिलाझुन्झुनू (राज.)
3. कॉता पत्नी शुभकरण जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
4. बिजेन्द्र पुत्र तीलोका जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
5. माया पुत्री तीलोका जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
6. सन्तरा पुत्री तीलोका जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
7. सरोज पुत्री तीलोका जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
8. सुरजी देवी पत्नी तीलोका जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.
9. सुखदेवा पुत्र सुन्दरराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज
10. रामकरण पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
11. रामदेवी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
12. शरबती पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
13. श्रवणी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
14. शारदा पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
15. ताराचन्द पुत्र परमेश्वर जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
16. भंवरलाल पुत्र परमेश्वर जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
17. राजेन्द्र पुत्र परमेश्वर जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
18. भगवानी देवी पत्नी परमेश्वर जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
19. मन्जू पुत्री परमेश्वर जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
20. सुमेर पुत्री परमेश्वर जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
21. बडौदा रास्थान ग्रामीण बैंक टाई जरिये प्रबधंक तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू ।
22. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थीगणप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 25.07.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके बाके ग्राम कमालसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 84 जिसके खसरा नम्बर 100 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 85 रकबा 1.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.74 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.95 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 20 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थी के खेत से एक रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 90 की दक्षिणी पूर्वी सिंव से होते हुवे खेत खसरा नम्बर 91 के दक्षिण पश्चिमी सींव से होते हुवे खेत खसरा नम्बर 102 से होते हुवे दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ डोटेड रास्ते तक जाता है जो कि काफी प्रचलित एवं कदीमि रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी करता आ रह है। जो कि प्रार्थी के खेत में जाने का एक मात्र निकटतम रास्ता है उसके अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 90 में आने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। चूंकि प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अपने पूर्वजों के समय से ही करते आ रहा है इसलिए यह एक प्रचलित रास्ता बन गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त रास्ते को बंद करना चाहते है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त रास्ते बाबत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि प्रार्थना पत्र का भाग है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढा जावें ।प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी के पूर्वजों के समय से ही करते आ रह है इसके अलावा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार कटानी रास्ता दर्ज किये रान चच के आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित मेंन्यायोचित है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढ़ा जावें।दिनांक 30/03/2023 को प्रार्थी ने उक्त अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते को कटानी हेतु कहा तो उक्त अप्रार्थीगण ने मना कर दिया इस बाबत प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय बिसाउ से सम्पर्क किया तहसीलदार महोदय ने उक्त रास्ते को कटानी हेतु करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मैं उक्त रास्ते को कटानी नहीं कर सकता हू। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।प्रार्थना पत्र अ.धारा 251क राज. काश्त. अधि. के तहत पेश है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 90 में से आने जाने हेतु वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित तथा नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार 20 फिट कायम रास्ता कटानी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 04 लगायत 07, 11 लगायत 15, 17 लगायत 21 वाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अनावेदक संख्या 10 व 16 स्वयं उपस्थित हुए परन्तु जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया । अनावेदक संख्या 01 लगायत 03 एवं 08 लगायत 09 ओर वकील उपस्थित। अनावेदक संख्या 01 की ओर से जरिये वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया यह कि आवेदक ने अनावेदक संख्या 1, 2 के पिता का नाम सुरजाराम गलत दर्ज किया है जबकि सुरजाराम का पुत्र स्वंय प्रार्थी है। अनावेदक संख्या 1 व 2 के पिता का नाम सुन्दरराम है. जो आवेदक ने जानबुझकर गलत नाम दर्ज किया है।विवादित्त भूमि के लिए पहले से ही रास्ता कायम है, मौके पर चालू है। इसलिए एक रास्ता चालू हो तो दुसरा रास्ता कानूनन नहीं दिया जा सकता है। आवेदन पत्र की धारा 1 स्वीकार है।आवेदन पत्र की धारा 2 अस्वीकार है। आवेदक द्वारा बताएनुसार उक्त भूमि पर कोई कटानी रास्ता मौजुद नहीं है। आवेदक ने अपनी मर्जी व सुविधा से गलत दर्ज किया है। विवादित भूमि में कोई कटानी रास्ता गौजुद नहीं है। फिर भी आवेदक विवादित भूमि में से रास्ता चाहता है तोपहले अपने व अनावेदक की भूमि की नपती करवाए और आवेदक विवादित भूमि में से रास्ता चाहता है तो पहले अपने व अनावेदक की भूमि की नपती करवाए और आवेदक ने अनावेदकगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है. वो खाली करे।आवेदन पत्र की धारा 3 जिस प्रकर से दर्ज की

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

गई है, अस्वीकार है। विस्तृत जवाब ब्रयान मजीद में दर्ज किए गये है।आवेदन पत्र की धारा 4 जिस प्रकार से दर्ज की गई है. अस्वीकार है। ना तो आवेदक अनावेदकगण के पास आया और ना ही आ सकता क्योंकि अनुावेदकगण ने आवेदक को कई बार भूमि खसरा नम्बर 339. 342. 343/401 जो दोनों पक्षकारों की शामलाती भूमि है, का खाता विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया लेकिन आवेदक ने साफ मना कर दिया जिस कारण दोनों खेतों का विवाद पैदा हो रहा है।अतिरिक्त कथनः– आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 20 संख्या बल में ज्यादा है, जिस कारण अनावेदकगण को हमेशा डराते व धमकाते रहते है। अनावेदकगण व आवेदक का इस भूमि के बावत खाता विभाजन हो चुका है और उक्तानुसार ही काबिज है। आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 20– को अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा कई बार मौखिकनिवेदन किया जा चुका है कि खसरा नम्बर 339, 342 व 343/401 जो शामलाती भूमि है, का आपस में बैठकर खाता विभाजन करवा लेते है लेकिन आवेदक जान बुझकर खाता विभाजन नहीं करवाना चाहता है और खसरा नम्बर 90 में आवेदक खसरा नम्बर 91 व 102 की 3 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट पटवारी हल्का से मांगने से पहले इस दोनों भूमियों की नपती होना आवश्यक है। नपती के बाद अनावेदकगण की भूमि खाली करवाने के बाद ही रास्ता देने पर विचार किया जायेगा।अतः जवाब प्रार्थना पत्र जवाब पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारीज फरमाया जावे ।

आवेदक की ओर अनावेदक के जवाब प्रार्थन पत्र का जवाब पेश किया कि प्रारम्भिक आपत्ति की धारा 1 जिस प्रकार दर्ज है स्वीकार नहीं है। अनावेदक संख्या 1 व 2 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी में सुरजाराम लिखा हुवा है उसी के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र में सुरजाराम दर्ज किया गया है। अगर अप्रार्थीगण संशोधित करवाना चाहते है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रारम्भिक आपत्ति की धारा 2 अस्वीकार है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता खेत खसरा नम्बर 91 के दक्षिण पश्चिमी सींव से होते हुवे खेत खसरा नम्बर 102 से होते हुवे दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ डांटेड रास्त तक जाता है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए मौके पर कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है।अतः जवाब प्रारिम्भक आपत्ति पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा उठाई गई प्रारम्भिक आपत्ति गलत रूप से दर्ज की गई है इसलिए वो प्रथम द्रष्टया ही खारिज होने योग्य है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को खारिज किया जाने के आदेश प्रदान करें।

तहसीलदार विसाऊ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 49 दिनांक 28.02.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कि दिनांक 28.02.2024 को ग्राम कमालसर के ख.न. 102,90,91 के मौके पर उभय पक्ष उपस्थिती मौका देखा गया । उभय पक्षकारों की सहमती के बाद भूमि ख.न. 90 में जाने हेतु रास्ता बाबत ख.न. 91 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आम सड़क से पश्चिम दिशा की ओर 04 मीटर चौडा तथा 50 मीटर लम्बा कुल 200 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित है।

विद्वान अभिभापकगण की बहस सुनी गई। अभिभापक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार विसाऊ की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया । वकील अनावेदक ने आवेदक वकील के तथ्यो को विरोध दर्ज कराते हुए निवेदन किया किया आवेदक के पास पहले से रास्ता मौजुद है। अतः प्रार्थना मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौडा करना चाहता है" — और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी एसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या एस ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 90 में पहुंच बावत खसरा न. ख.न. 91में से रास्ता चाहा गया है । प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार बिसाऊ की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न. 90 में आने–जाने के लिये निकटतम दूरी खेत खसरा खसरा न. 91 में रास्ते की लम्बाई 50 मी. व चौडाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर जो तहसीलदार बिसाऊ की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है,को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार बिसाऊ को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा